पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

...सं0 91/2026

...जय कुमार
...मित कुमार
पि0 महावीर प्रसाद जाति जाट निवासीयान केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

दलीप पुत्र मामकौरी जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिवी जिला हनुमानगढ।
महावीर पुत्र दलीप जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिवी जिला हनुमानगढ।
माया पुत्री दलीप पत्नी चुन्नीराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
संतो पुत्री दलीप पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
निर्मला पुत्री दलीप पत्नी चेतराम जाति जाट निवासी काशी का वास, ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
शारदा पुत्री दलीप पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी रतनपुरा चक 1 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
अमित पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
प्रियंका पुत्री औमप्रकाश पत्नी अरविन्द महला जाति जाट निवासी सैक्टर नं0 05, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
एकता पुत्री महावीर पत्नी भरत जाति जाट निवासी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री ए एस जोईया व प्रतिवादी वकील हर्षित सुथार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:— चक नं० 9 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के संयुक्त खाता के खाता सं0 46/35 में कुल 16.5000 है० कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै०मु० कृषि भूमि में से प्रतिवादीसं0 1 दलीप के 1/2 हिस्सा के वादीगण सं० 1 व 2 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा चक नं0 6 आरडबल्यू डी के संयुक्त खाता के खाता सं0 58/52 में कुल 0.2020 है० कमाण्ड कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 दलीप के 1/2 हिस्सा की आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 गैर खातेदार ही दर्ज किया जावे, व चक नं0 9 आर डबल्यू डी के खाता सं0 46/35 व चक नं0 6 आर डबल्यू डी के खाता सं0 58/52 में से दलीप का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के वाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with OKEN Scanner